संख्या-40/2016/1262/38-4-16-05(बजट)/2012

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर,2016

विषयः-लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवासों के आवंटन के संबंध में।

महोदय

कृपया लोहिया ग्रामीण आवास योजना के संचालन विषयक शासनादेश संख्याः-34/2016/1130/38-4-16-05(बजट)/2012 दिनांक 02.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक लोहिया ग्राम में 25 आवासों का आवंटन किया जायेगा। आवासों के आवंटन हेतु लाभार्थियों के चयन की एक प्रक्रिया भी उक्त शासनादेश में निर्धारित की गयी है। निर्धारित पात्रता में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गयी पात्रता सूची में चिन्हित परिवार तथा इन्हीं ग्रामों में अन्य पात्र लाभार्थी जो किसी कारणवश पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, उन्हें भी सम्मिलित करने हेतु एक व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2. प्रदेश के समस्त ग्रामों में आवासों की अत्यधिक मांग को दृष्टिगत रखते हुए तथा गरीब परिवारों का रहन सहन का स्तर ऊँचा करने की दृष्टि से सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से आरम्भ करते हुए प्रदेश के समस्त ग्रामों में आवासहीन तथा कच्चे आवास में निवास करने वाले परिवारों में से शासनादेश दिनांक 02.09.2016 में उल्लिखित मानकों के आधार पर पात्र पाये जाने वाले परिवारों को लोहिया आवास का आवंटन किया जायेगा।

3. उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त ग्रामों में उपलब्ध पात्र लाभार्थियों का एक गहन सर्वेक्षण कर लिया जाए और सर्वेक्षणोपरान्त जो परिवार रू036000/- पारिवारिक वार्षिक आय के अन्तर्गत आच्छादित होते हों, उन सभी को आवासीय सुविधा हेतु चिन्हित किया जाए। इन चिन्हित परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मार्गनिर्देशिका विषयक शासनादेश दिनांक 20.02.2013 एवं शासनादेश दिनांक 02.09.2016 को भी संज्ञान में रखा जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आगामी 03 माह में सर्वेक्षण पूर्ण कराते हुए सूची तैयार करायी जाए तथा चिन्हित परिवारों की विकास-खण्ड वार सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध करायी जाए।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-40/2016/1262(1)/38-4-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव] मुख्यमंत्री] उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव] समाज कल्याण विभाग] उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव] उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर] मुख्य सचिव] उत्तर प्रदेश शासन।
5- स्टाफ आफिसर] कृषि उत्पादन आयुक्त] उत्तर प्रदेश शासन।
6- आयुक्त, ग्राम्य विकास] उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
12- नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।